उत्तराखण्ड शासन

प्रधानाचार्य,राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सितारगंज,ऊधम सिंह नगर।

सैक्सन–04 वेबसाइट के माध्यम से प्रकट की जाने वाली सूचना

क्र०सं०	संबंधित सूचना	क्रियान्वयन
1	खरीद से संबंधित	विभागीय स्तर पर GeM Portal एवं ई–निविदा के माध्यम से निदेशालय स्तर से सामग्री क्रय की जाती है, जिसका विवरण विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित है। प्रधानाचार्य रा0औ0प्रशि0सं0 सितारगंज स्तर पर सामग्री का क्रय विभागीय स्तर पर मदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष स्थानीय बाजार से न्यूनतम मूल्यों एवं वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अधीन/विभागीय मितव्ययिता के दृष्टिगत किया जाता है।
2	सार्वजनिक निजी भागीदारी(पीपीपी)	संस्थान सितारगंज वर्ष–2007–08 से पीपीपी मोड के अन्तर्गत आच्छादित है। सोसाइटी 16 फरवरी,2008 से पंजीकृत है आई0एम0सी0 कमेटी के सहयोगी पार्टनर खटीमा फाईवर्स, लिमिटेड का प्रबन्धन अन्य के पास चले जाने के कारण इन्डस्ट्री पार्टनर के रूप में कार्य करने में उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी हैं वर्तमान में आई0एम0सी0 के पुर्नगठन हेतु मुख्य प्रबन्ध निदेशक, खटीमा पॉलीप्लेक्स लि0 खटीमा एवं पंजाब वेबल गेयर लिमिटेड, सिडकुल सितारगंज को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की गयी है।
3	स्थानान्तरण नीति	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम तथा शासन के दिशा–निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण, निदेशालय स्तर से।
4	आरटीआई आवेदन	वर्ष 2026 में प्राप्त होने वाले कुल आवेदनों की संख्या 14 है, जिसे अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित किया गया।
5	ए0जी0 का पैरा	प्रधानाचार्य रा0औ0प्रशि0सं0 सितारगंज मे एजी महालेखाकार से सम्बन्धित को भी लेखा परीक्षा कार्यालय स्तर पर लम्बित नहीं है।
6	विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन निधि	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विभागीय बजट आवंटन एवं व्यय का मदवार विवरण मैनुवल में प्रदर्शित किया गया है।
7	नागरिक चार्टर	इस कार्यालय हेतु लागू नहीं।
8	अनुशासनात्मक कार्यवाही की संख्या	शून्य/ इस कार्यालय में प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों की संख्या शून्य है।
9	विदेशी दौरे एवं यात्राओं का विवरण	प्रधानाचार्य रा0औ0प्रशि0सं0 सितारगंज के किसी भी कार्मिक द्वारा विदेशी यात्राऐं नहीं की गयी है।
10	लोक प्राधिकारी का मैनुअल(मैनुअल कब तक अद्यावधिक है का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा)	आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के 17 बिन्दुओं का मैनुअल विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध एवं वर्तमान तक अद्यावत है।
11	मण्डल/जनपद/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर वैबसाइट की सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित स्तर के लोक प्राधिकारियों का मैनुअल भी विभागाध्यक्ष स्तर पर विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये	कुमाऊँ मण्डल के अधीनस्थ समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण के लोकसूचना अधिकारियों की सूची का विवरण मैनुअल एवं इस कार्यालय की वैबसाइट में प्रदर्शित है।
12	नियमों, विनियमों निर्देश मैनुअल और अभिलेखों की सूची	विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों की सेवानियमावली, डीजीटी भारत सरकार के दिशा–निर्देश आदि की सूची, उत्तराखण्ड सरकारी के विभिन्न विभागों के निर्गत शासनादेशों की सूची संबंधित वैबसाइट में उपलब्ध है।

13	वैबसाइट में सभी प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किये जाते है।	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु व्यवसायों की प्रवेश विवरणिका, शिशिक्षु पंजीकरण फार्म, परीक्षा/प्रमाण–पत्र संबंधी प्रपत्र आरटीआई आवेदन, प्रारूप डाउनलोड हेतु उपलब्ध है।
14	शासन स्तर से जारी शासनादेश, दिशा–निर्देश तथा विभागाध्यक्ष स्तर से जारी प्रमुख आदेश, कार्यालय ज्ञाप, दिशा–निर्देश को भी विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना।	शासन स्तर से निर्गत महत्वपूर्ण शासनादेश/प्रपत्र विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित है।
15	नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकारों/सेवाओं का पूर्ण विवरण उपलब्ध होना चाहिये	व्यवसायिक प्रशिक्षण, एनसीवीटी प्रमाण–पत्र अप्रैंटिस मेलों एवं प्लेसमैंट सम्बन्धी विवरण उपलब्ध है।
16	वैबसाइटों में प्रमुख संपर्कों की विस्तृत निर्देशिका, सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारियों का विवरण होना चाहिये	रा0औ0प्रशि0संस्थान सितारगंज की वैबसाइट में इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम एवं कार्यक्षेत्र व दूरभाष सूची प्रदर्शित की गयी है।
17	आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी)(XIV) के तहत इलैक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध या उसके पास मौजूद विवरण का खुलासा	-------
18	वेब पेज पर आरटीआई के तहत सक्रिय रूप से प्रकट की गई जानकारी या डेटा शीर्ष दाएं कोने पर, अनिवार्य फील्ड अंतिम अध्यतन तिथि के साथ प्रदर्शित किया गया है या नहीं।	हॉ, रा0औ0प्रशि0संस्थान सितारगंज की वैबसाइट में प्रदर्शित की गयी है।
19	विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों का नाम, पदनाम, पूर्ण पता व सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिये	लोक सूचना अधिकारी का नाम पता व दूरभाष संख्या मैनुअवल में प्रदर्शित की गयी है।
20	अभिलेखों के स्वप्रकटन किये जाने हेतु नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, पूर्ण पता व सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिये	निदेशालय स्तर से
21	विधान सभी के पटल पर यदि विभाग की वार्षिक रिपोर्ट पटलीकृत की जाती है तो उसमें आरटीआई के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी है	निदेशालय स्तर का प्रकरण
22	स्वराज्य एवं भ्रष्टाचार हेतु नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मो0न0/दूरभाष नम्बर	निदेशालय स्तर से नामित किया जाता हैं
23	विभाग के द्वारा नागरिक हेतु संचालित योजना से संबंधित जानकारी/शिकायत हेतु नामित अधिकारी का नाम, पदनाम, मो0न0 दूरभाष नम्बर।	निदेशालय स्तर से